

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण , नौएडा

दिनांक 26.12.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त

26.12.2022 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, अध्यक्ष और सीईओ, एनएसईजेड प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित एनएसईजेड प्राधिकरण (एनएसईजेड) की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान एनएसईजेड प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त।
2. श्री अमित कुमार, संयुक्त डीजीएफटी, कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए)।
3. श्री आलोक मुखर्जी, निदेशक, मैसर्स इडेमिया सिसकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, ii) श्री मोहदिकर किरण मोहन, उप विकास आयुक्त (विशेष आमंत्रित) iii) श्री अमित कुमार गुप्ता, उपायुक्त (सीमा शुल्क), एनएसईजेड, iv) श्री अजय कुमार मिश्रा , वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एनएसईजेड, v) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, vi) श्री भारत भूषण, सहायक, और vii) श्री राजीव शर्मा, FCA, मैसर्स राजीव शर्मा और सहयोगी भी प्राधिकरण की सहायता के लिए उपस्थित थे।

चूंकि गणपूर्ति पूरा हो गया था, इसलिए बैठक शुरू हुई।

शुरुआत में, एनएसईजेड के अध्यक्ष और सीईओ ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया और इसके तहत निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. दिनांक 11.10.2022 को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन :

1.1 एनएसईजेड प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि 11.10.2022 को हुई उसकी बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, 11.10.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

1.2 आगे, एनएसईजेड प्राधिकरण ने एसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के संदर्भ में 11.10.2022 को हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की।

2. मूल आवंटी के साथ प्लॉट्स पर निःशुल्क फैक्ट्री में दी गई शेयरिंग पर मिशन की वैधता बढ़ाने के संबंध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने साझा इकाइयों द्वारा किए गए निवेश, उनके निर्यात प्रदर्शन, रोजगार सृजन, उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के लिए खाली जगह के उपयोग का संज्ञान लिया। इसके बाद, बड़े जनहित में और वाणिज्य विभाग के लंबित अंतिम निर्णय के अधीन, यह निर्णय लिया गया कि साझा करने की अनुमति की वैधता को 31.03.2024 तक या वाणिज्य विभाग से विपरीत दिशा-निर्देश प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जायेगा। यह स्वीकृति केवल उन इकाइयों को दी जाएगी, जिन्हें पहले ऐसी अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि मुख्य आवंटी के साथ-साथ साझा करने वाली इकाई के एलओए (LOA) वैध हों।

3. मैसर्स एन सी इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 158(594.00 वर्ग मीटर), एनएसईजेड, नौएडा पर बने भवन की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण को, किसी भी सीमा शुल्क के साथ-साथ संबंधित एजेंसी द्वारा विशेष रूप से लिखित रूप में दर्शाए गए किसी भी अन्य बकाया, और मैसर्स एनसी इंटरनेशनल और श्री राजेश कुमार, भागीदार पर लगाए गए दंड, यदि कोई हो, को आरक्षित मूल्य में शामिल करने का निर्देश दिया गया। यह वह प्रक्रिया होगी, जिसका मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से, एनएसईजेड के प्लॉट नंबर 158 में निर्मित भवन, संयंत्र और मशीनरी की ई-नीलामी किया जाएगा। ई-नीलामी प्राधिकरण के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

4. जलपान गृह संख्या-01, एन.एस.ई.जंक्शन एवं छोटे खोका (कीऑस्क) के निर्माण के संबंध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। जलपान गृह नंबर 01, एनएसईजेड में खाली जगह के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से, प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद आम जगह में, स्टूल के साथ, 5x3 वर्ग मीटर के 05 छोटे खोका बनाने का फैसला किया। प्राधिकरण ने उस परिसर में एक सामान्य शौचालय बनाने का भी निर्णय लिया, जो विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए। उक्त परिसर में जलपान गृह की परिसीमा की मरम्मत एवं पेंटिंग के साथ-साथ हरित क्षेत्र के विकास का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए बजटीय अनुमान 50.00 लाख रुपये रखा गया है और वापकोस एक संशोधित उद्धरण (Quotation) प्रदान करेगा।

5. आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन का केन्द्रीय वेतन अधि नियम के आधार पर संशोधन करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद सुरक्षा गार्ड, एमटीएस, सफाई कर्मी और माली के लिए केंद्रीय वेतन अधिनियम के अनुसार 01.01.2023 से केंद्रीय वेतन लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स वैपकोस लिमिटेड जीएफआर के प्रावधानों और व्यय विभाग/सीवीसी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्णय को लागू करेगा।

6. सहायक सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा कार्मिको हेतु 04 संख्यक मोटरसाइकिल खरीदने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने देखा कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उपयोग की जा रही मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद आधिकारिक उपयोग के लिए जेम (Gem) के माध्यम से एनएसईजेड के अंदर चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के प्रावधान के साथ 03 नग विद्युतीय मोटरसाइकिल और बायबैक विकल्प के साथ 01 नंबर पेट्रोल मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला किया।

7. भारत संचार निगम लिमिटेड को आवंटित जगह का कब्जा लेने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में बीएसएनएल द्वारा निर्मित आवासीय भवन जर्जर स्थिति में है और कई वर्षों से अनुपयोगी

पड़ा हुआ है। यह इकाइयों और क्वार्टर में रहने वाले एनएसईजेड कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा खतरा भी बन गया है क्योंकि चोरी के मामलों की सूचना मिली है जिसमें संदेह है कि बेईमान तत्व उनमें शरण ले रहे हैं। इसके अलावा, घने अतिवृष्टि के कारण सांप, बिच्छू आदि भी होते हैं। समिति ने देखा कि जिस उद्देश्य के लिए बीएसएनएल को भूमि आवंटित की गई थी वह अब समाप्त हो गया है और एनएसईजेड द्वारा भूमि का उपयोग अन्य उत्पादक उपयोगिताओं के लिए किया जा सकता है। प्राधिकरण ने विचार-विमर्श के बाद बीएसएनएल को पत्र लिखकर भवन का कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

9. गेस्ट फैकल्टी के लिए मानदेय के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद एनएसईजेड प्राधिकरण में अतिथि वक्ताओं के लिए शुल्क/मानदेय के रूप में 5,000/- रुपये प्रति सत्र (75 मिनट या अधिक) तय करने का निर्णय लिया, जो मामला दर मामला आधार पर फ़ाइल पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन था। इसमें दिसंबर, 2022 के महीने में किए गए सभी अतिथि व्याख्यान भी शामिल होंगे।

10. सौंदर्यीकरण, सेंट्रलवर्ज और मेन रोड के पुनर्निर्माण और पार्क संख्या 6, एन.एस.ई.जेड के पुनर्विकास से संबंधित कार्यों में संशोधन/नये कार्य जोड़ने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण को यह सूचित किया गया कि मुख्य सड़क, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत की आवश्यकता है, वाहनों और व्यक्तियों के लिए अभिगम नियंत्रण को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और प्रवेश और निकास बिंदुओं और सड़कों को आधुनिक और एसईजेड के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। तदनुसार, मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, सड़कों के निर्माण पर अपने पहले के काम को जारी रखते हुए, जोन परिसर का सर्वेक्षण करने और उक्त सौंदर्यीकरण के लिए लागत अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया कि एसईजेड में मुख्य सड़क, गेट नंबर 01 और 02, हाई मास्ट सहित स्ट्रीट लाइट, दो पार्कों के विकास, कला कार्य और साइनेज आदि के नवीनीकरण के लिए मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 69.02 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) की अनुमानित लागत प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में एनबीसीसी के प्रतिनिधि ने प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया।

प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद उपरोक्त परियोजनाओं के लिए 69.02 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) की अनुमानित लागत को मंजूरी दे दी।

11. औद्योगिक कैन्टीन संख्या-02, एन.एस.ई.जेड, नौएडा को तोड़कर नवीन सुविधा केन्द्र के निर्माण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने देखा कि औद्योगिक जलपान गृह नंबर 02, एनएसईजेड का भवन जर्जर स्थिति में है। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद पहले औद्योगिक जलपान गृह नंबर 02, एनएसईजेड के भवन का संरचनात्मक ऑडिट करने का निर्णय लिया, ताकि यह देखा जा सके कि मौजूदा संरचना का उपयोग आगे के निर्माण के लिए किया जा सकता है या नहीं।

12. मैसर्स वापकोस लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा ।

मैसर्स वैपकोस लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष रखी गई थी। प्राधिकरण ने एक-एक करके सेवाओं की समीक्षा की और की गई प्रगति को नोट किया। प्राधिकरण ने काम की समीक्षा की, चिंता व्यक्त की और WAPCOS से एसईजेड में प्रदान की गई/अनुरक्षित सेवाओं पर कार्रवाई की मांग की। एसईजेड लिमिटेड में मैसर्स वैपकोस 01.01.2023 से सभी आउटसोर्स कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली प्रदान करेगा। प्राधिकरण ने मैसर्स वैपकोस लिमिटेड को उन्हें सौंपे गए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्राधिकरण ने मैसर्स वैपकोस लिमिटेड को एसडीएफ ब्लॉकों के सभी भवनों की संरचनात्मक लेखापरीक्षा करने और औद्योगिक जलपान गृह नंबर 02, एनएसईजेड के निर्माण पर काम शुरू करने का भी निर्देश दिया।

13. एन.एस.ई.जेड, नौएडा में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण ने उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि नौएडा एसईजेड प्रस्तावित कौशल विकास केंद्र के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कर सकता है:-

- i. एनएसडीसी (NSDC) को मामूली दर पर जगह उपलब्ध कराना और पूंजीगत व्यय लागत उठाना।

- ii. पहले चरण में, दर्जी का काम (सिलाई/बुनाई/बुनाई/काटना/फिनिशिंग); पैकेजिंग (खुदरा और परिवहन दोनों); फिटर (सीएनसी मशीनें); सूचना प्रौद्योगिकी आदि के लिए कुशल व्यक्तियों के लिए सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं;
- iii. स्टाइपेंड सहित इन कक्षाओं की परिचालन लागत को इकाइयों और/या एनएसडीसी द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए।
- iv. नोएडा एसईजेड प्राधिकरण पानी और बिजली जैसी उपयोगिताओं को मुफ्त में प्रदान कर सकता है।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक हुई।

सुरेन्द्र मलिक

(सुरेन्द्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन

(अ. बिपिन मेनन)

अध्यक्ष एवं सीईओ